FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मुकामः सूरतगढ

एमएसीटी– संख्या–12/2023, इफकोटोकिया जन.इ.क./बलदेव बिश्नोई व.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.2025	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। अधिवक्ता डिक्रीदार ने हस्तगत निष्पादन की कार्यवाही में धारा 174 एमवीएक्ट 1984 की प्रकिया को अमल में लाये जाने बाबत् लिखित में प्रार्थना पत्र किया। निवेदन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि हस्तगत निष्पादन की कार्यवाही मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के द्वारा पारित किये गये अवार्ड दिनांक 22.09.2022 के निष्पादन के लिये लम्बित है। जब धारा 174 एमवीएक्ट का अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है कि उक्त धारा 174 एमवीएक्ट में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है **"जहाँ किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण–पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिये अग्रसर होगा मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो।"** उक्त प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के अधीन यदि कोई रकम किसी व्यक्ति को देय हो तो ऐसी रकम का हकदार व्यक्ति के आवेदन किये जाने पर ऐसी रकम देय होने का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर को भेजा जा सकता है तथा जिला कलेक्टर ऐसी रकम को बकाया भूराजस्व की तरह वसूलने के लिये अग्रसर होगा। इस प्रकार जब उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में अध्ययन करते है तो डिक्रीदार जिसके हक में अधिनिर्णय दिनांक 22.09.2022 की पालना में रकम देय है, ने लिखित में आवेदन कर धारा 174 एमवीएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर डिक्रीदार का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः डिक्रीदार का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि डिक्रीदार इफिको टोकियो जनरल इं. क. लि. के हक में अधिनिर्णय दिनांक 22.09.2022 की पालना में	

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

देय राशि के हक में देय राशि की वसूली बकाया भूराजस्व की तरह किये जाने के बाबत् जिला कलेक्टर फलौदी **को** प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

आदेश **सुनाया** गया। पत्रावली देखने पालना रिपोर्ट में दिनांक **29**.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

174 प्रमाणपत्र
418
3.11.25